

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट (फास्ट-ट्रेक) नवलगढ़ जिला झुंझुनू
पीठासीन अधिकारी सुशील कुमार सैनी (आर.ए.एस.)

मुकदमा नम्बर 136/2025

दायर दिनांक-28.05.2025

1. बीरबल पुत्र जगुराम जाति जाट निवासी टोंक ढाका की ढाणी तन भोजनगर तहसील नवलगढ़ जिला झुंझुनू।

-वादी

बनाम

1. धर्मेन्द्र सिंह पुत्र हरलाल सिंह
2. मनीराम पुत्र जगूराम
3. शीशराम पुत्र जगूराम जाति जाट निवासी टोंक ढाका की ढाणी तन भोजनगर तहसील नवलगढ़ जिला झुंझुनू।
4. शाखा प्रबंधक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया शाखा नवलगढ़ तहसील नवलगढ़ जिला झुंझुनू।
5. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार नवलगढ़ तहसील नवलगढ़ जिला झुंझुनू।

-प्रतिवादीगण

वकील वादी : - श्री अशोक कुमार जांगिड़
वकील प्रतिवादी :- श्री सज्जन कुमार चाहर व कृष्ण गुर्जर

दावा बाबत विभाजन व
स्थायी निषेधाज्ञा।

--: निर्णय ::-

दिनांक : 29.12.2025


वाद वादी दिनांक 17.08.2025 को प्राथमिक रूप से डिक्री किया जाकर तहसीलदार नवलगढ़ को मौका कमीशनर नियुक्त किया गया एवं मुताबिक निर्णय पक्षकारान की मौजूदगी में कब्जे काश्त के अनुसार विभाजन प्रस्ताव तैयार कर पालना प्रस्तुत करने बाबत आदेशित किया गया। तहसीलदार नवलगढ़ द्वारा विभाजन प्रस्ताव पत्रांक/भू0अ0/2025/9958 दिनांक 08.10.2025 प्रस्तुत करने पर बहस विभाजन प्रस्ताव सुनी गई। मुताबिक विभाजन प्रस्ताव वाद वादी स्वीकार किया जाता है। विभाजन प्रस्ताव निर्णय का भाग रहेगा। राजस्व ग्राम टोंक ढाका की ढाणी पटवार हल्का टोंकछिलरी की सरहद में स्थित भूमि खसरा नम्बर 139, 145, 146, 147 रकबा क्रमशः 0.1600, 0.3000, 1.2500, 0.0200 है0 कुल किता 4 कुल रकबा 1.7300 है0 भूमि में निम्न प्रकार खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है:-

| क्र. स. | घोषित खातेदार का नाम | खसरा नम्बर | रकबा | किस्म |
|---------|---|------------|--------|-----------------|
| 1 | धर्मेन्द्र सिंह नेचू पुत्र हरलाल सिंह नेचू हिस्सा 1/4 जाति जाट, बीरबल पुत्र जगूराम हिस्सा 1/4 जाति जाट मनीराम पुत्र जगूराम हिस्सा 1/4 जाति जाट, शीशराम पुत्र जगूराम हिस्सा 1/4 जाति जाट शेष जमाबंदी बदस्तुर | 146/3 | 0.0240 | गैर0 मु0 रास्ता |
| | | 146/2 | 0.0400 | गैर0 मु0 रास्ता |
| | | 146/7 | 0.0110 | गैर मु0 रास्ता |
| | | 147 | 0.0200 | गैर मु0 रास्ता |
| 2 | मनीराम पुत्र जगूराम जाति जाट साकिन देह खातेदार राहिन स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया शाखा नवलगढ़ | 139 | 0.1600 | बरानी 2 |
| | | 146/1 | 0.0800 | बरानी 1 |
| | | 146/5 | 0.1700 | बरानी 1 |

महायुक्त कलक्टर एवं कार्यपालक
मजिस्ट्रेट, फास्ट-ट्रेक, नवलगढ़

| | | | | |
|---|--|--------|--------|---------|
| 3 | शीशराम पुत्र जगूराम जाति जाट साकिन देह खातेदार राहिन स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया शाखा नवलगढ़ | 146/4 | 0.1050 | बरानी 1 |
| | | 145 | 0.3000 | बरानी 1 |
| 4 | धर्मन्द्र सिंह नूचू पुत्र हरलाल सिंह नेचू जाति जाट साकिन देह खातेदार | 146/11 | 0.3500 | बरानी 1 |
| | | 146/9 | 0.0600 | बरानी 1 |
| 5 | बीरबल पुत्र जगूराम जाति जाट साकिन देह खातेदार | 146/6 | 0.3500 | बरानी 1 |
| | | 146/8 | 0.0400 | बरानी 1 |
| | | 146/10 | 0.0200 | बरानी 1 |

तहसीलदार नवलगढ़ को आदेशित किया जाता है कि मुताबिक निर्णय राजस्व रिकार्ड में दुरुस्त कर राजस्थान लैण्ड रेकार्ड रूल्स 1957 के नियम 62 के अनुरूप बटा नम्बर को संशोधित कर अमल दरामद किया जावे। तदनुसार पर्चा डिक्री जारी हो। उक्त निर्णय से यदि पक्षकारान् संतुष्ट नहीं हैं तो पक्षकारान् अपीलीय न्यायालय में अपील दायर करने हेतु स्वतंत्र रहेगा। पत्रावली फैसल सुमार होकर नम्बर से कम हो तथा बाद तकमील कार्यवाही जाप्ता दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 29.12.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।


 (सहायक कलेक्टर, नवलगढ़) का कार्यपालक
 सहायक कलेक्टर, नवलगढ़
 (फास्ट-ट्रक) नवलगढ़ जिला झुन्झुनू

(ओ 20 रूल्स 6-7 जाप्ता दिवानी)

अज अदालत सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट (फास्ट-ट्रेक) नवलगढ मुकाम बईजलास नवलगढ
पीठासीन अधिकारी :- सुशील कुमार सैनी (आर.ए.एस.),
मुकदमा नम्बर 136/2025

दावा : विभाजन व स्थाई निषेधाज्ञा।

(बीरबल बनाम धर्मेन्द्र आदि)

यह मुकदमा आज वास्ते इफिसला कतई रूबरू सुशील कुमार सैनी (आर.ए.एस.), सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट (फास्ट-ट्रेक) नवलगढ बहाजिरी, वकील वादीगण मनजानिव मुददई रूबरू वकील प्रतिवादीगण मनजानिव- मुददालय पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिकी दी जाती है।

निर्णय दिनांक 29.12.2025 निर्णय वाद वादी मुताबिक विभाजन प्रस्ताव स्वीकार किया जाता है। विभाजन प्रस्ताव निर्णय का भाग रहेगा। राजस्व ग्राम टोंक ढाका की ढाणी पटवार हल्का टोंकछिलरी की सरहद में स्थित भूमि खसरा नम्बर 139, 145, 146, 147 रकबा क्रमशः 0.1600, 0.3000, 1.2500, 0.0200 है0 कुल कित्ता 4 कुल रकबा 1.7300 है0 भूमि में निम्न प्रकार खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है:-

| क्र. स. | घोषित खातेदार का नाम | खसरा नम्बर | रकबा | किस्म |
|---------|---|------------|--------|-----------------|
| 1 | धर्मेन्द्र सिंह नेचू पुत्र हरलाल सिंह नेचू हिस्सा 1/4 जाति जाट, बीरबल पुत्र जगूराम हिस्सा 1/4 जाति जाट मनीराम पुत्र जगूराम हिस्सा 1/4 जाति जाट, शीशराम पुत्र जगूराम हिस्सा 1/4 जाति जाट शेष जमाबंदी बदस्तुर | 146/3 | 0.0240 | गैर0 मु0 रास्ता |
| | | 146/2 | 0.0400 | गैर0 मु0 रास्ता |
| | | 146/7 | 0.0110 | गैर मु0 रास्ता |
| | | 147 | 0.0200 | गैर मु0 रास्ता |
| 2 | मनीराम पुत्र जगूराम जाति जाट साकिन देह खातेदार राहिन स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया शाखा नवलगढ | 139 | 0.1600 | बरानी 2 |
| | | 146/1 | 0.0800 | बरानी 1 |
| | | 146/5 | 0.1700 | बरानी 1 |
| 3 | शीशराम पुत्र जगूराम जाति जाट साकिन देह खातेदार राहिन स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया शाखा नवलगढ | 146/4 | 0.1050 | बरानी 1 |
| | | 145 | 0.3000 | बरानी 1 |
| 4 | धर्मेन्द्र सिंह नूचू पुत्र हरलाल सिंह नेचू जाति जाट साकिन देह खातेदार | 146/11 | 0.3500 | बरानी 1 |
| | | 146/9 | 0.0600 | बरानी 1 |
| 5 | बीरबल पुत्र जगूराम जाति जाट साकिन देह खातेदार | 146/6 | 0.3500 | बरानी 1 |
| | | 146/8 | 0.0400 | बरानी 1 |
| | | 146/10 | 0.0200 | बरानी 1 |

तहसीलदार नवलगढ को आदेशित किया जाता है कि मुताबिक निर्णय राजस्व रिकार्ड में दुरुस्त कर राजस्थान लैण्ड रेकार्ड रूल्स 1957 के नियम 62 के अनुरूप बटा नम्बर को संशोधित कर अमल दरामद किया जावे।

बसक्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत से आज तारीख 29.12.2025 को जारी की गई।

सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट
(फास्ट-ट्रेक) नवलगढ जिला झुन्धुनू